



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 25

पटना, बुधवार,

28 ज्येष्ठ 1947 (श०)

18 जून 2025 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	02-03
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रिकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—चन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	04-05
पूरक	---
पूरक-क	06-07

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

10 जून 2025

सं० 1/स्था० (2) 07/2023-2578—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 द्वारा निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में गठित विभागीय स्क्रिनिंग समिति की दिनांक-14.05.2025 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा के आलोक में पूर्णतः अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार गव्य सेवा संवर्ग के गव्य अभियंता को निदेशक, गव्य के पद पर उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान कोटि
1	2	3
1.	श्री केदार नाथ सिंह, गव्य अभियंता, सम्प्रति अपने ही कोटि वेतनमान में निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना।	गव्य अभियंता

2. संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक वर्तमान धारित पदस्थापन पर ही उत्क्रमित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे।

3. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गयी अंतर राशि की भी वसूली कर ली जायेगी।

4. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान में उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुये दिया गया कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील सं०-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्धवादों में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

5. उपर्युक्त अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गयी है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।

6. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक निदेशक, गव्य (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-13) में उत्क्रमित किया जाता है।

7. उपर्युक्त पदाधिकारी का पदभार ग्रहण करने की तिथि से निदेशक, गव्य के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जीतेन्द्र कुमार, अवर सचिव।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

12 जून 2025

सं० 06/दुर्घटना दावा मुआवजा-02/2023-4723—मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-165 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (गठन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन राज्य में नवगठित बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के लिए अर्हता प्राप्त निम्नांकित सुयोग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर की जाती है:-

Sl. No.	Applicant's Name	D.O.B	Category
1.	Manoj Kumar Singh	01.01.1965	General
2.	Akhilesh Kumar Jain	13.03.1959	General
3.	Ram Lal Sharma	30.06.1963	EBC
4.	Ram Prawesh Das	11.09.1960	SC

2. अध्यक्ष, बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में योगदान की तिथि से पाँच वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो कम हो, के लिए अपना पद धारित करेंगे। विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार इससे पूर्व भी अध्यक्ष की सेवा नियमानुसार समाप्त कर सकेगी।

3. अध्यक्ष को वही वेतन भत्ते की राशि, जो सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त थी, से पेंशन की रूपांतरित राशि सहित प्राप्त पेंशन आदि को घटाकर प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अनुमान्य भत्ते प्राप्त होंगे।

4. अध्यक्ष को अपने पद पर योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र समर्पित करना अपेक्षित होगा।

5. राज्य सरकार के सामान्य अधीक्षण एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत अध्यक्ष को वेतनादि परिवहन विभाग के मुख्य शीष 2041-वाहन कर-00-101-संग्रहण प्रभार-0002-मोटर वाहन पर नियंत्रण (विपत्र कोड-47-2041001010002) से भुगतेय होगा।

6. नियुक्त अध्यक्ष का पदस्थापन की अधिसूचना अलग से निर्गत की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृत्यानन्द रंजन, संयुक्त सचिव।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

प्रभार प्रतिवेदन

12 जून 2025

सं० 218—अधोहस्ताक्षरी, मैं पंकज कुमार, भा.प्र.से. (1997), प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/पी.-1005/2025-सा.प्र.-10599 एवं 10600 दिनांक-10.06.2025 के आलोक में दिनांक-12.06.2025 के पूर्वार्ध में सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पद का प्रभार श्री पंकज कुमार पाल, भा.प्र.से. (2002) को सौंपता हूँ।

(पंकज कुमार)
भारमुक्त पदाधिकारी

(पंकज कुमार पाल)
भारग्राही पदाधिकारी

आदेश से,
अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 13—571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

No. 552--I, Biseshwar Prasad S/o Khemlal Sav Rio Mahulli Tola Harnichak Anishabad, Patna-800002, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1028 dt. 1605.25 that my name is written in Pan Card and Birth Certificate. Whereas in Aadhar Card written in Visheshwar Prasad. Both names are of same and one person. From now I will be known as Biseshwar Prasad for all purposes.

Biseshwar Prasad.

सं0 553--मैं ऋतु राज पिता राजकुमार शर्मा निवासी ग्राम मोहम्मदपुर नारंगी उर्फ अबाबकरपुर पोस्ट फुलार थाना महुआ, अंचल महुआ जिला वैशाली राज्य बिहार पिन कोड-844122, शपथ पत्र सं.-5821/25.09.24 द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरा सही नाम ऋतु राज है और मेरा गलत नाम रितुराज शर्मा है । आज से अपना सही नाम ऋतु राज से जाना वो पहचाना जाऊंगा ।

ऋतु राज ।

सं0 554--मैं राकेश कुमार, पिता हरेराम प्रसाद सिंह ग्राम व पोस्ट व थाना नावकोठी जिला बेगूसराय का निवासी हूं। मेरा आधार नंबर 564265365722 है। जाह्नवी कुमारी (JANHVI KUMARI) मेरी पुत्री है । मेरी पुत्री के आधार संख्या 6132 7688 9731 में उसका नाम Jhanvi Kumari अंकित है जो गलत है। जबकि मेरी पुत्री का सही नाम जाह्नवी कुमारी (JANHVI KUMARI) है । वह इसी नाम से जानी व पहचानी जाती है। शपथ पत्र संख्या 6637 दिनांक 05/03/2025.

राकेश कुमार ।

No. 555--I, Resham Kumari, W/o Shree Ram Prasad, Mo-Baligaon, P.O- Baligaon, P.S.- Ayar, Distt.- Bhojpur, Bihar-802203, do solemnly affirm and declare that in my Aadhar my name has been wrongly written as Resham Devi. But my correct name is Resham Kumari as My Educational Id That I will be know as Resham Kumari for all future purpose. Affidavit No. 2401, Date - 24.04.2025.

Resham Kumari.

सं0 556--मैं पूनम कुमारी (Poonam Kumari) पिता- मनोज कुमार, मोहल्ला- महात्मा गांधी नगर, कांटी फैक्ट्री रोड, कंकड़बाग बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, थाना-अगमकुआं, पिन कोड-800026, जिला-पटना, बिहार शपथ पत्र सं.-557 दिनांक 13.05.2025 के द्वारा यह सूचित करती हूँ कि मेरे पुत्र के सीबीएसई 10वीं द्वारा निर्गत दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र में भूलवश मेरा नाम पूनम देवी (Poonam Devi) दर्ज हो गया है जो गलत है। मेरा सही नाम पूनम कुमारी (Poonam Kumari) है और भविष्य में इसी नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी ।

पूनम कुमारी (Poonam Kumari).

सं0 557—मैं मनोज कुमार (Manoj Kumar) पिता—मंगल रजक, मोहल्ला—महात्मा गांधी नगर, कांटी फैक्ट्री रोड, कंकड़बाग बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, थाना—अगमकुआं, पिन कोड—800026, जिला—पटना, बिहार शपथ पत्र सं0—558 दिनांक 13.05.2025 के द्वारा यह सूचित करता हूं कि मेरे पुत्र के सीबीएसई 10वीं द्वारा निर्गत दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र में भूलवश मेरा नाम मनोज रजक दर्ज हो गया है जो गलत है। मेरा सही नाम मनोज कुमार (Manoj Kumar) है और भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा।

मनोज कुमार (Manoj Kumar).

No. 558—I, Rakesh Ranjan, S/o Late Vibhuti Sharan Singh, R/o Gandhi Nagar Ander Kila, Hajipur, Vaishali, Bihar-844101 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 5416 dt. 22.04.2025 that my name is written in my daughter Mahee Singh 10th all document as Rakesh Singh which is wrong. As per my Aadhar Card my correct name as Rakesh Ranjan and from now I will known as Rakesh Ranjan for all future and legal purposes.

Rakesh Ranjan.

No. 559—I, Sanjay Kumar S/o Sajan Kumar R/o Khandelia Compound Kali Bari, SDO Road, Ward No.-02, Khagaria, Bihar-851204 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. no. 1674 dt. 17.05.2025 that my name is written in my Aadhar Card, Pan Card and Education documents as Sanjay Kumar. Now I will be known as Sanjay Khandelia for all future purposes.

Sanjay Kumar.

No. 563—I SANTOSH SHARAN S/o- Late Tarkeshwar Saran Resident of Flat No-103, Mahavir Enclave, Ambedkar Path, Khajpura, Patna-800014 hereby declare that my Son SHLOK is now known as AKHOURI SHLOK. Wide Affidavit NO 5083Dt.09/05/2025.

SANTOSH SHARAN.

सं0 564—मैं स्वेता (SWETA) पिता श्री अनिल कुमार सिन्हा, पता—सुभाष नगर (खेमनीचक), पो.—न्यू जगनपुरा, थाना—रामकृष्ण नगर, जिला—पटना-800027, बिहार, शपथ पत्र संख्या-643, दिनांक 18/03/2025 के द्वारा घोषणा करती हूं कि अब मैं भविष्य में सभी कार्य हेतु स्वेता सिन्हा (SWETA SINHA) के नाम से जानी और पहचानी जाऊंगी।

स्वेता (SWETA).

सं0 565—मैं बेबी कुमारी (BABY KUMARI) पिता- ललन महतो, निवासी- हुस्से छपरा, पोस्ट- छपरा, थाना- नगर छपरा, जिला- सारण का स्थायी निवासी हूं तथा शपथ पत्र सं. 2571 दिनांक 24.05.2025 द्वारा यह सूचित करती हूं कि मेरा आधारकार्ड नं. 3278 8004 7863 है। मेरे आधारकार्ड में भूलवश मेरा नाम (BEBI KUMARI) बेबी कुमारी अंकित है। जो कि गलत है। यह है कि मैं अपने नाम का स्पेलिंग सुधार करवाना चाहती हूं मेरे पैन कार्ड एवं दसवीं के मार्कशीट में मेरा नाम सही है। यह कि मेरा सही नाम (BABY KUMARI) बेबी कुमारी है और मैं अब मैं सभी कार्यों के लिए बेबी कुमारी (BABY KUMARI) के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी।

बेबी कुमारी (BABY KUMARI).

No. 566—I, REENA KUMARI, W/O. RAJESH KUMAR, Village- Shital Patti P/o- Dhaka, P/s- Chiraiya, Dist- East Champaran, Bihar 845418 as per Affidavit No. 652 dated 07/05/2025 That in my Aadhar card my name has been wrongly written as REENA DEVI. but my correct name is REENA KUMARI as my correct name is REENA KUMARI as my Educational document that I will be know as REENA KUMARI for All future purpose.

REENA KUMARI.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 13—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bihar.gov.in>

बिहार गजट का पूरक(अ0) प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० ICDS/80050/01-2025-4546

समाज कल्याण विभाग
(आई.सी.डी.एस. निदेशालय)

संकल्प

5 जून 2025

विषय :- आँगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना अन्तर्गत आँगनवाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 03-06 वर्ष तक के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने के निमित्त पूर्व से प्रावधानित देय राशि की प्रक्रिया को परिवर्तित करते हुए उक्त राशि के बदले में जीविका, बिहार के माध्यम से निर्मित प्रति बच्चा दो सेट पोशाक आँगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जाने एवं पोशाक की दर में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के प्रस्ताव को अंगीकृत करते हुए योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति।

समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस) के अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिलों के 544 बाल विकास परियोजनाओं में स्वीकृत 1,15,009 आँगनवाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 03-06 वर्ष तक के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है, ताकि नामांकित बच्चे स्कूल पूर्व शिक्षा सदृश पोशाक में शिक्षा ग्रहण कर सकें तथा आँगनवाड़ी केन्द्रों पर उनकी अलग पहचान के साथ-साथ उनके बीच समरूपता एवं सामाजिक समरसता का भाव विकसित हो सकें।

आँगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना सं० 2435, दिनांक 25.04.2018 के आलोक में प्रत्येक बच्चे को पोशाक हेतु प्रति वर्ष रू० 400/- (चार सौ) मात्र की राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से अभिभावकों को उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी शत-प्रतिशत स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे पोशाक में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। फलस्वरूप इस योजना के क्रियान्वयन में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गयी।

उक्त के आलोक में आँगनवाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 03-06 वर्ष तक के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने के निमित्त पूर्व से प्रावधानित प्रति वर्ष प्रति बच्चा रू० 400/- (चार सौ) देय राशि की प्रक्रिया को परिवर्तित करते हुए उक्त राशि के बदले में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार के पत्रांक-3505, दिनांक-18.02.2025 के आलोक में जीविका, बिहार के माध्यम से निर्मित प्रति बच्चा दो सेट पोशाक, आँगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराया जाना है एवं पोशाक की दर में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि किया जाना है।

अतएव राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में सम्यक विचारोपरांत आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 03-06 वर्ष तक के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने के निमित्त पूर्व से प्रावधानित प्रति वर्ष प्रति बच्चा रू० 400/- (चार सौ) देय राशि की प्रक्रिया को परिवर्तित करते हुए उक्त राशि के बदले में जीविका, बिहार के माध्यम से निर्मित प्रति बच्चा दो सेट पोशाक, आँगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जाने एवं पोशाक की दर में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के प्रस्ताव को अंगीकृत करते हुए योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

योगेश कुमार सागर, संयुक्त सचिव।

सं० ICDS/40015/13-2025-4547

5 जून 2025

विषय :- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक—No-CD-I/11/13/2023-CD-I दिनांक 25.04.2025 के आलोक में सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 तथा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान (PM-JANMAN) योजना के अभिसरण से राज्य के 05 जिलों के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में 10 नये स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण तथा उक्त 10 नये स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन को अंगीकृत करते हुए योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति।

सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने तथा कुपोषण से बचाव करने हेतु छः प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जा रही है, जिससे बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार, बच्चों के मृत्यु दर में कमी एवं बच्चों का मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक विकास हो सके।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 तथा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान (PM-JANMAN) योजना के अभिसरण से वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के 05 जिलों में 10 नये स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण तथा उक्त 10 नये स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति दी गयी है। विदित है कि इसके अन्तर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) वाले क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना करते हुए क्षेत्र के सभी योग्य लाभुकों को आच्छादित किया जाना है।

अतएव राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में सम्यक विचारोपरांत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के 05 जिलों में 10 नये स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण तथा उक्त 10 नये स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
योगेश कुमार सागर, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 13—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bihar.gov.in>